Email-legal.grd@gmail.com

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गिरिडीह।

(विधि शाखा) Email-legal.grd@gmail.com

–:प्रेस विज्ञप्तिः–

आवश्यक सूचना

गिरिडीह जिला में पंजीकृत लगभग 467 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञप्तियों के नवीकरण एवं शस्त्र निरीक्षण विगत पाँच वर्षों से अधिक समय से नहीं कराया जा रहा है और न ही इस संबंध में उनके द्वारा इस कार्यालय से कोई पत्राचार किया गया है। विभिन्न अवसरों पर जिला शस्त्र शाखा, गिरिडीह तथा संबंधित थाना द्वारा उनसे संपर्क/पत्राचार किया गया परन्तु उनका वर्तमान निवास ज्ञात नहीं हो सका तथा प्रेषित पत्र भी वापस प्राप्त हो गये। विभिन्न थानों से प्राप्त प्रतिवेदनों से यह ज्ञात होता है कि इनमें से कुछ अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु हो गई है और कुछ अन्यत्र चले गये हैं।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में निम्न वर्णित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों/उनके पारिवारिक सदस्यों को इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि दिनांक 30.11.2026 तक शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उनमें धारित शस्त्रों के साथ जिला शस्त्र शाखा, गिरिडीह में उपस्थित होकर इस आशय का प्रतिवेदन समर्पित करें कि किस कारण से शस्त्र अनुज्ञप्तियों का नवीकरण नहीं कराया जा रहा है अन्यथा निर्धारित अवधि के उपरांत ऐसे शस्त्र अनुज्ञप्तियों को **Online** तथा **Offline** रद्द करने तथा उसमें धारित शस्त्रों को राज्य के पक्ष में जब्त करने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी जायगी।

निर्धारित समय सीमा के उपरांत कोई भी स्पष्टीकरण/प्रतिवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

अनु0:–शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों की सूची।

14/11/26

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1573 /विधि, दिनांक 14/11/2026

प्रतिलिपिः– सभी संबंधित शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी थाना प्रभारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, गिरिडीह को उपरोक्त सूचना (सूची सहित) की सॉफ्ट कॉपी एवं हॉर्ड कॉपी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश है कि उपरोक्त सूचना को सभी स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार 03 (तीन) दिनो तक प्रकाशन कराना एवं प्रकाशित सूचना का प्रेस कतरण विधि शाखा, गिरिडीह को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/11/26

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 1593 /विधि, दिनांक 20/11/26

प्रतिलिपिः– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, गिरिडीह को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि उपरोक्त प्रेस विज्ञप्ति को इस जिला के बेवसाईट में अपलोड/प्रकाशित किया जाय।

20/11/2026

जिला शस्त्र दण्डाधिकारी
गिरिडीह। 20/11/26